

● न्यायालय: सुनील अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी जिला
डिण्डौरी (म0प्र0)

॥ प्रशासनिक आदेश ॥

कमांक / 273 / स्टेनो / 2023

डिण्डौरी, दिनांक-20.10.2023

मैं सुनील अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला डिण्डौरी में पदस्थ निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को सारणी में उनके नाम के आगे दर्शित अवकाश तिथियों में रिमाण्ड/आपराधिक विधि के तहत अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य के लिए अधिकृत करता हूँ :-

माह- नवम्बर 2023 एवं दिसम्बर 2023

जिला मुख्यालय डिण्डौरी

क.	अधिकारी का नाम	माह-नवम्बर	माह-दिसम्बर
1.	श्रीमती रिजवाना कौसर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	दिनांक- 26.11.2023, 27.11.2023	दिनांक- 16.12.2023, 17.12.2023
2.	श्रीमती सोनाली शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	दिनांक- 05.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023	दिनांक- 10.12.2023, 25.12.2023
3.	श्री उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	दिनांक- 18.11.2023, 19.11.2023	दिनांक- 03.12.2023, 24.12.2023
4.	सुश्री मोहसिना खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	दिनांक- 10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023	दिनांक- 31.12.2023

तहसील शहपुरा

क.	अधिकारी का नाम	माह-नवम्बर	माह-दिसम्बर
1.	श्री सीताशरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा	दिनांक-10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023	दिनांक- 03.12.2023 16.12.2023 24.12.2023
2.	श्री दिलीप पाटिल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा	दिनांक- 05.11.2023, 18.11.2023, 19.11.2023, 26.11.2023, 27.11.2023	दिनांक- 10.12.2023, 17.12.2023, 25.12.2023, 31.12.2023,

नोट:-

(1) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को को 03:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपस्थित होकर, अपने-अपने न्यायालय कक्ष में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे व उनके

सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेंगा। उक्त आदेश दिनांक 01.11.2023 से प्रभावी रहेगा।

(2) यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन करना चाहता है तो उपरोक्त संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट से चर्चा कर सहमति आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) मान्नीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कोई अवकाश परिवर्तित किया जाता है तो ऐसे परिवर्तित अवकाश दिनांक को पूर्व घोषित अवकाश दिनांक को ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट परिवर्तित अवकाश दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

(4) यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण / प्रमोशन आदि हो जाता है तो आने वाले न्यायाधीश की डियुटी मानी जावेगी और उन्हें रिमाण्ड कार्य सम्पादित करना होगा।

(5) तहसील न्यायालय शहपुरा स्थित दोनों पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमाण्ड डियुटी का कार्य जिला मुख्यालय में उपलब्ध, रिमाण्ड डियुटी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

(6) पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनपस्थित या अवकाश की दशा में रिमाण्ड डियुटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

(7) म0प्र0 शासन या मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा माह नवम्बर 2023 में आकस्मिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने पर उस दिनांक को जिला मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी श्रीमति सोनाली शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी तथा माह दिसम्बर 2023 में श्री उत्कर्षराज सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी एवं नवम्बर 2023 में तहसील शहपुरा में रिमाण्ड ड्यूटी श्री सीताशरण यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा एवं माह दिसम्बर 2023 में श्री दिलीप पाटिल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा के द्वारा संपादित की जावेगी।

(सुनील अहिरवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डिण्डौरी म0प्र0

डिण्डौरी, दिनांक- 20.10.2023

पृष्ठांकन क्रमांक / 273 / 2023

प्रतिलिपि:-

- 1- कार्यालय, मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, डिण्डौरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्रीमती रिजवाना कौसर / श्री सीता शरण यादव / श्रीमती सोनाली शर्मा / श्री उत्कर्षराज सोनी / श्री दिलीप पाटिल / सुश्री मोहसिना खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी / शहपुरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे समस्त थाना / चौकी प्रभारियों को इस आदेश से अवगत करावें।
- 4- अध्यक्ष / सचिव, जिला अभिभाषकगण, डिण्डौरी / शहपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी / अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी / शहपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील अहिरवार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डिण्डौरी म0प्र0